श्री जी.एस. इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालाजी एण्ड साईन्स इन्दौर

पोमेछा / 2024–25 / दिनांक 06 / 11 / 2024

अतिआवश्यक परिपत्र

विषय :– वर्ष 2024–25 हेतु पिछडा वर्ग नवीनीकरण (द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष) के विद्यार्थियो को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जमा करने हेतु निर्देश।

संस्थान के पिछडा वर्ग के समस्त विद्यार्थीयों, जिनके माता पिता की वार्षिक आय रू **3,00,000/–(तीन लाख रूपये तक) है,** वे विद्यार्थी अपना ऑन लाईन आवेदन, पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन फार्म पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाईट MPTAAS Portal में भरकर, संलग्न समस्त दस्तावेजो सहित हार्ड कापी पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति (लेखा विभाग) में जमा करे, जिसके अभाव में छात्रो को जमा किये गये शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति प्राप्त नही होगा।

समस्त विद्यार्थी अपना आवेदन **दिनांक 20/11/2024 तक स्कालरशिप विभाग** में जमा कर सकते है। राज्य शासन द्वारा सीधे पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में, छात्रवृत्ति व शिक्षण शुल्क जमा किया जावेगा। संस्थान के पिछडा वर्ग के समस्त विद्यार्थी निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करे :–

1) शासकीय सेवक हो तो विभाग द्वारा जारी वेतन सेलरी स्लिप विगत माह की) जिसमें समस्त प्रकार के वेतन, भत्ते, मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि शामिल हो। अगर माता–पिता दोनो शासकीय सेवक हो, तो दोनो की पे स्लीप जमा करना अनिवार्य है। जिनके माता पिता व्यवसाय करते हो, वे इन्कम टेक्स रिर्टन 16, प्रायवेट सेवारत कर्मचारी/अधिकारी को नियोक्ता का वार्षिक अथवा मासिक आय प्रमाण पत्र।
2) पी.जी कोर्स में अध्ययनरत विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र के साथ (किसी भी शासकीय/अशासकीय सेवा में वेतन/मानदेय/मजदूरी के रूप में किसी भी सेवा में नही) का शपथ पत्र देवे।
3) विद्यार्थी ऑन लाईन स्कालरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु बैक का नाम, बैंक खाता नम्बर, आय.एफ. एस.सी कोड की जानकारी सावधानी पूर्वक दर्ज करे व खाता नम्बर को ऑन लाईन स्कालरशिप पोर्टल पर आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य। बैंक खाते नम्बर में त्रुटि होने पर संपूर्ण जवाबदारी विद्यार्थी की होगी।
4) प्रवेश के समय संस्था मे जमा की गई शिक्षण शुल्क की रसीद की छायाप्रति।
5) विद्यार्थीयो द्वारा बैक खाता नियमित संचालित करने संबधी घोषणा पत्र।
6) पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप आवेदन पत्र पर अपना नवीन फोटो पेस्ट करे।
7) समस्त दस्तावेजो को स्वप्रमाणित हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
8) विद्यार्थीयों द्वारा ऑन लाईन स्कालरशिप पोर्टल पर भरे गये छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में दर्ज किये गये मोबाईल नम्बर पर ही छात्रवृत्ति से संबधि समस्त संदेश/सूचनाएँ, उपरिथति जानकारी प्राप्त होगी अतः विद्यार्थी मोबाईल नम्बर को परिवर्तित या बंद न करे।
9) स्थायी जाति प्रमाण पत्र :– एस.डी.एम. द्वारा जारी ही मान्य।
10) उत्तीर्ण अंक सूची :– विगत दो वर्षो की उत्तीर्ण अंक सूची ।
11) मूल निवासी प्रमाण पत्र।
12) एडमिशन स्लीप, शुल्क जमा का चालान, अलॉटमेन्ट लेटर ।
13) छात्रावास प्रमाण पत्र :– वार्डन द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
14) स्कालरशिप आवेदन पत्र के साथ विद्यार्थी 4(अ) 4(ब) 4(स) प्रोफार्मा आवश्यक रूप से भरकर देवे।
15) समस्त विद्यार्थियो की 75 प्रतिशत से अधिक उपरिथिति अनिवार्य है, उपरिथिति कम होने पर छात्रवृत्ति व शिक्षण शुल्क इत्यादि का भुगतान पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिला इन्दौर द्वारा नही किया जावेगा, जिसके लिये विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगे।
16) राज्य शासन द्वारा शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति न करने या अध्ययनरत पाठयकम के अनुसार शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क भुगतान कम होने पर अंतर राशि संबधित विद्यार्थियो द्वारा ही वहन की जावेगी।

निदेशक

7/11/24

प्रतिलिपि :–
1) समस्त डीन/समस्त विभागाध्यक्ष।
2) निदेशक कार्यालय
3) वित्त अधिकारी
4) रजिस्ट्रार कार्यालय।
5) समस्त नोटिस बोर्ड/होस्टल।
6) संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।